

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/143/2017-18

31 जनवरी, 2018

श्री वी. के. राजन,
उपसचिव एवं लोक सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु
महोदय,

संलग्न पत्र श्री ब्रजराज कृष्ण गुप्ता, समाज सेवी निवासी 1252/1, माधवपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश का 08.01.2018 का इस कार्यालय में 19.01.2018 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने 10/- रुपये का पो.आ.सं. 43F 843771 संलग्न कर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत स्वयं को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाने व अन्य विषयों की जानकारी चाही है। चूंकि पत्र की विषय-वस्तु गृह मंत्रालय से संबंधित है, अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक को मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जो इस विषय के निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री ब्रजराज कृष्ण गुप्ता, समाज सेवी निवासी 1252/1, माधवपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश
- कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

7/12/18
SPEED POST

सेवा में

महामहिम राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार दिल्ली725
19.01.18महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार दिल्ली

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

आवेदक

1. प्रार्थी एक भारतीय नागरिक है। प्रार्थी को सुरक्षा की गारन्टी भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से लेने का क्या प्रावधान है बिन्दुवार आख्या दें।
2. उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेन्सी द्वारा सुरक्षा की गारन्टी लेने के एक अधिकार द्वारा फर्जी मुकदमों व बिल्डों से धमकी दिलाने का सविधान में किस पेज पर अंकित है। बिन्दुवार आख्या दें।
3. प्रार्थी एक भारतीय नागरिक है। प्रार्थी द्वारा सुरक्षा की गारन्टी मांगना कौन सा अपराध है। बिन्दुवार आख्या दें।
4. प्रार्थी के सुरक्षा की गारन्टी मागे जाने पर प्रार्थी को सुरक्षा की गारन्टी नहीं दिया जाना भारत सरकार के सुरक्षा एजेन्सी का क्या प्रावधान है। बिन्दुवार आख्या दें।
5. प्रार्थी को सुरक्षा की गारन्टी न दिये जाने पर भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा एजेन्सी द्वारा मानसिक उत्तपीड़न करना व झूठे मुकदमों में फसाना भारत के किस सविधान में लिखा है। बिन्दुवार आख्या दें।
6. प्रार्थी का भारतीय नागरिक होना व सुरक्षा की गारन्टी मांगना अपराध है बिन्दुवार आख्या दें।
7. प्रार्थी को सुरक्षा की गारन्टी न देने के पीछे किस प्रकार का संघड़यन्त्र है बिन्दुवार आख्या दें।

दिनांक

संलग्न :- दस रुपये का पोस्टल आर्डर संख्या U3F 843771

वी.के. मुक्ता
प्रार्थी
सुजाना मुखर्जी